

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 7(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2020

जयपुर, दिनांक: 26 FEB 2020

:- आदेश :-

स्व. पं. नवलकिशोर शर्मा राजकीय विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, दौसा व राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा के एकीकरण के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय, दौसा को दो भागों में विभाजित करने के निर्णय को प्रत्याहरित किया जाता है।
2. एकीकरण करने के उपरान्त एकीकृत महाविद्यालय का नाम स्व. पण्डित नवलकिशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा रखा जावे।
3. एकीकृत महाविद्यालय का कला संकाय पूर्व निर्मित भवन में व वाणिज्य संकाय की कक्षा नवीन भवन में संचालित की जावे। विज्ञान संकाय फिलहाल पूर्व निर्मित भवन में ही संचालित किया जावे।
4. नवीन भवन में विज्ञान संकाय के संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा प्रयोगशाला कक्ष उपलब्ध हो जाने पर विज्ञान संकाय को नवीन परिसर में हस्तान्तरित किया जावे।
5. प्रयोगशाला कक्ष निर्माण हेतु माननीय विधायक, दौसा श्री मुरारीलाल मीना द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 50 लाख रुपये उपलब्ध करवाने हेतु आश्वस्त किया गया है। प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु अन्य स्रोत यथा DMFT, सांसद कोष से भी राशि जुटाने का प्रयास किया जावे।
6. एकीकृत किए जाने के उपरान्त संचालित राजकीय महाविद्यालयों की सूची में से एक राजकीय महाविद्यालय को विलोपित किया जावे।

यह स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय की आई.डी. संख्या एफ19004909 दिनांक 11.12.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बाबू लाल गोयल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20 (102/14)आयो/आकाशि/2019-20/पार्ट मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ20(102/14)आयो/आकाशि/2019-20/पार्ट/631-649

दिनांक : २७/०२/२०२०

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3)विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक प. 7(1)शिक्षा/ग्रुप-3/2020 दिनांक 26.02.2020 के संबंध में।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. श्री मुरारी लाल मीणा, माननीय विधायक, दौसा।
12. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. प्राचार्य, स्व. पं. नवलकिशोर शर्मा राजकीय विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, दौसा।
15. प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा।
16. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी./अकादमिक/प्रशासन, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
18. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
19. रक्षित पत्रावली।

दीपाली भागेव

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।